अनुदान संख्या 92 – दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
GRANT No. 92 - DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1163,69,00	1163,71,00	1015,26,06	-148,44,94
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				148,44,94
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		41,21,00	92,00	-40,29,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				40,29,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	96630.00	85179.43	85179.43	..
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-11451.57			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	8380.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	-8381.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	8856.00			
			14073.89	14073.89	..
पु.	R.	5217.89			

(I) ₹8383.00 लाख का प्रावधान (मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) नौ शर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹8201.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" – "समाज कल्याण – दिव्यांगजन का कल्याण" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहाः–

(I) Provision of ₹8383.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2020) remained wholly unutilised under nine heads; of these ₹8201.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "Social Welfare - Welfare of Handicapped" - under the following heads:-

(का) "सहायक सामग्री और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता" – ₹2300.00 लाख;

(A) "Assistance to Disabled Persons for purchase / fittings of Aids and Appliances" - ₹2300.00 lakhs;

(खा) "निःशक्त व्यक्ति अधिनियम के लिए कार्यान्वयन के लिए स्कीमें" – ₹3100.50 लाख (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(B) "Schemes for implementation for Persons with Disabilities Act" - ₹3100.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh);

(गा) "दीनदयाल निःशक्त व्यक्ति पुनर्वास स्कीम" – ₹750.50 लाख (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(C) "Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme" - ₹750.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh);

(घा) "राष्ट्रीय संस्थानों को निधियन संबंधी स्कीम" – ₹800.00 लाख; और

(ङ) "दिव्यांगजन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति" – ₹1250.00 लाख।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण" – बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "दिव्यांगजन का कल्याण – अन्य स्कीमें" – ₹5852.91 लाख की बचत (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹44999.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती किए जाने के कारण हुआ।

(खा) "अन्य कार्यक्रम – सूचना और जन शिक्षा प्रकोष्ठ" – ₹2136.88 लाख (₹2800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों/विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(क) "समाज कल्याण – दिव्यांगजन कल्याण" – ₹2797.38 लाख की बचत (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹11689.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय संस्थानों एएलआईएमसीओ, कार्यान्वयन एजेंसियों से मितव्ययिता प्रस्ताव की प्राप्ति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान

(D) "Scheme for Funding to National Institutes" - ₹800.00 lakhs; and

(E) "Scholarship for Students with Disabilities" - ₹1250.00 lakhs.

Provision under the above five heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2235" - "Social Welfare" - savings occurred under the following heads :-

(A) "Welfare of Handicapped - Other Schemes" - saving of ₹5852.91 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹44999.20 lakhs including token supplementary grant of ₹0.20 lakh) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less proposals from the implementing agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) "Other Programmes - Information and Mass Education Cell - saving of ₹2136.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2800.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from implementing agencies/Directorate of Advertising and Visual Publicity.

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Social Welfare - Welfare of Handicapped" - saving of ₹2797.38 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹11689.20 lakhs including token supplementary grant of ₹0.20 lakh) was due to non-receipt of adequate proposals from the National Institutes, ALIMCO, implementing

में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "दिव्यांगजन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति" – ₹1026.50 लाख (₹2531.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(घा) "जनजाति क्षेत्र उप–योजना" –

(क) "दिव्यांगजन छात्र के लिए छात्रवृत्ति" – ₹760.93 लाख की बचत (₹1271.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों से मितव्ययिता छात्रवृत्ति आवेदन की प्राप्ति नहीं होने एवं वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(ख) "समाज कल्याण – दिव्यांगजन कल्याण" – ₹1459.61 लाख की बचत (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹6075.20 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एनजीओ, एएलआईएमसीओ, कार्यान्वयन एजेंसियों से मितव्ययिता प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹257.26 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत थीं।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹7852.57 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत मार्च, 2020 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(I) मुख्य शीर्ष "2235" – "समाज कल्याण – दिव्यांगजन कल्याण – नेत्रहीन, बधिर, मानसिक रूप से मंद

agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Scholarship for Students with Disabilities" - saving of ₹1026.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2531.00 lakhs);

(D) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "Scholarship for Students with Disabilities"- saving of ₹760.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1271.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of adequate scholarship applications from State Governments and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Social welfare - Welfare of Handicapped" - saving of ₹1459.61 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹6075.20 lakhs including token supplementary grant of ₹0.20 lakh) was due to non-receipt of adequate proposals from NGOs, ALIMCO, implementing agencies and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under one head saving of ₹257.26 lakhs occurred constituting 10 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (₹7852.57 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in March, 2020 under the following major heads:-

(I) Major Head "2235" - "Social Welfare - Welfare of Handicapped - Expansion and

एवं अस्थि विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थानों का विस्तार एवं सुधार" – ₹2634.68 लाख।

Improvement of National Institutes for the Blind, Deaf, Mentally Retarded and Orthopaedically Handicapped" - ₹2634.68 lakhs.

(II) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रयोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – दिव्यांगजन के लिए स्कीम" – ₹ 5217.89 लाख।

(II) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Scheme for differently abled Persons" - ₹5217.89 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4235" सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4235" Capital Outlay on Social Security and Welfare				
मू.	O.	3773.00	92.00	92.00	..
पु.	R.	-3681.00			
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	348.00	..	..	..
पु.	R.	-348.00			

(I) ₹1601.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹834.00 लाख मुख्य शीर्ष "4235" – "समाज कल्याण – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना –राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम" के अंतर्गत अकेले लेखाबद्ध किए गए; और

(I) Provision of ₹1601.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these ₹834.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4235"- "Social Welfare - Special Component Plan for Scheduled Castes - National Handicapped Finance and Development Corporation"; and

(II) मुख्य शीर्ष "4235" – "समाज कल्याण – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम" के अंतर्गत ₹2428.00 लाख की बचत (₹2520.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(II) Under Major Head "4235" - "Social Welfare - Investment in Public Sector and other Undertakings - National Handicapped Finance and Development Corporation" - saving of ₹2428.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2520.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.